

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सरफेसी वाद संख्या - 44/2022

आई०सी०आई०सी०आई० बैंक लि० (मनिष सिन्हा) बनाम् सत्येन्द्र प्रसाद सिंह वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में तिप्पणी तारीख

28.03.2023

यह वाद आवेदक प्राधिकृत पदाधिकारी आई०सी०आई०सी०आई० बैंक लि० (मनिष सिन्हा) बनाम् (1) सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, पिता-शिव कुमार सिंह, (2) आलोक कुमार, पिता- सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, (3) निलम देवी, पति- सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, नियर डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, पो०-भरेचनगर, साण्डी, जिला-रामगढ़ द्वारा अन्दर U/S - 14 of The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 के तहत दायर आवेदन पर प्रारंभ किया गया। वाद को अंगीकृत करने के उपरांत द्वितीय पक्ष को सूचना निर्गत किया गया एवं संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की।

आवेदक न्यायालय द्वारा निर्धारित विभिन्न तिथियों से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिवक्ता के द्वारा भी कई तिथियों से पैरवी नहीं दिया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को वाद का निस्तार हेतु अभिरुचि नहीं है। अतः दायर वाद के प्रति आवेदक का उदासीनता को देखते हुए इस वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावकारी आदेश के समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

शाधवी सिन्हा
28.3.2023
उपायुक्त,
रामगढ़।

शाधवी सिन्हा
28.3.2023
उपायुक्त,
रामगढ़।